भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 507

(जिसका उत्तर गुरुवार, 2 मई, 2013/12 वैशाख, 1935 (शक) को दिया गया)

<u>व्यावसायिक परिवेश संबंधी पैनल</u>

***507. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :**
श्री भास्करराव बापूराव पाटौल खतगांवकर :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में समग्र व्यावसायिक परिवेश में सुधार लाने हेतु दामोदरन पैनल नियुक्त किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस पैनल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पैनल की सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और
(ङ) देश में व्यावसायिक परिवेश में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) से (ड.) : एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है।

*****

<u>व्यावसायिक परिवेश संबंधी पैनल के बारे में दिनांक 02.05.2013 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 507 के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) से (ङ) : वित्तीय सुधार, शासन सुधारों, उदारीकृत नीतिगत संरचना, प्रक्रिया सुधार आदि जैसे मूल कार्यों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों की विस्तृत जांच करने तथा भारत में परिवेश में सुधार के लिए रोड मैप का सुझाव देने हेतु इस मंत्रालय द्वारा श्री एम. दामोदरन की अध्यक्षता में दिनांक 23.08.2012 को एक समिति गठित की गई है। समिति द्वारा शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की संभावना है।

भारत में व्यवसाय करना सुगम बनाने के लिए कंपनी विधेयक, 2012 में निम्नलिखित के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं:-

i) पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक एमसीए-21 रजिस्ट्री के माध्यम से कंपनियों के तीव्र निगमन/पंजीकरण का प्रावधान किया गया है;

ii) कंपनियों को ई-शासन मोड के माध्यम से अभिलेखों के रखरखाव तथा बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी गई है;

iii) कंपनियों को इस प्रकार से कार्य करने की शक्ति दी गई है जो 'सरकार/विनियामक अनुमोदन आधारित व्यवस्था' की जगह 'स्व-विनियमित प्रकटीकरण/पारदर्शिता' आधारित है;

iv) व्यवसाय के कारपोरेट स्वरूप का लाभ उठाने हेतु नए उद्यमियों को अनुमति प्रदान करने के लिए 'एकल व्यक्ति कंपनी' तथा 'लघु कंपनी' की संकल्पना को मान्यता प्रदान की गई है;

v) तीव्र विलय एवं अधिग्रहण जिसमें विलय के छोटे स्वरूप तथा परस्पर विलय भी शामिल हैं, को अनुमति दी गई है;

vi) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के माध्यम से समयबद्ध अनुमोदन;

vii) कंपनियों की एक श्रेणी के लिए शीघ्र परिसमापन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।

*****